

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

इकल स्थित की केवल आवासीय उपयोगार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 21 दिनांक 13/05/19

प्रार्थी का नाम श्री दीपा शर्मा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 2,359/- का

जरिये रसीद संख्या 107/21.70/21.77

दिनांक 13/05/19 को जमा करा दी है ।

P.No 12/209

चौपालनी हाउसिंग बोर्ड

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

दीपा
8107471004